

22/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर
वकील वादी ने न्यायालय में उपस्थित
होकर वाद में Not Press किया
जाया। अतः वकील वादी द्वारा वाद
में नोट प्रेस करने से ~~वकील~~ वादी
का वाद रवारिज बिजा जाता है।
पत्रावली के साथ शुमार होकर
दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।

22/10/19
सहायक कलक्टर
घोहरन

Not
Press
की जावे
22.10.19